



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-885

New Delhi: 04.01.2021

श्री कृपा शंकर टंडन
एडवोकेट,
43/168-बी, चौक सराफा,
कानपुर नगर
उत्तर प्रदेश-208001
Mobile-09451284669

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराना।


संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 04.12.2020, इस कार्यालय में दिनांक 08.12.2020 को प्राप्त हुआ।

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में, संबंधित कार्यालय से प्राप्त जानकारी संलग्न है।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है;

सुश्री आर० पी० छिब्र
समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,
5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,
प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

संलग्न: 03 पृष्ठ


04.01.2021

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक / प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालयपांचवा तल :, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली 110001 -

Regd. & Corporate Office: 5th Floor, Supreme Court Metro Station Building Complex, New Delhi-110001

Tel: 91 - 11+23454700, Fax No. 91-11-23454701 Web :www.dfccil.com, CIN :U60232DL2006GOI155068



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर

TDL/EN/RTI/212 (A)

दिनांक:- 02.01.2021

Dy. G.M/Admin./(PIO)


डी० एफ० सी० सी० आई० एल०

नई० दिल्ली,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री कृपाशंकर टंडन (अधिवक्ता), निवासी- कानपुर (उत्तर-प्रदेश), के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में ।

- सन्दर्भ:-**
- I. आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र सं. 2020/HQ/Admin/RTI-885 दिनांक 09.12.2020 मुख्य महाप्रबन्धक/टूंडला कार्यालय में पत्र प्राप्ति 09.12.2020.
 - II. इस कार्यालय के ई-मेल दिनांक 09.12.2020.
 - III. अपर महाप्रबन्धक/सिविल/कानपुर के पत्र CNB/EN/RTI/16(A)/Y-20-12/(08) दिनांक 19.12.2020.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र सं. I, के तहत श्री कृपाशंकर टंडन (अधिवक्ता), निवासी- कानपुर (उत्तर-प्रदेश), का पत्र प्राप्त हुआ इसकी जानकारी हेतु अपर महाप्रबन्धक/सिविल/कानपुर को सूचित किया गया । सन्दर्भित पत्र सं. III, के तहत अपर महाप्रबन्धक/सिविल/कानपुर के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई वह इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भेजी जा रही है ।


(सुभाष चंद्रा)

महाप्रबन्धक/विधुत/टूंडला

संलग्नक:- 4 प्रष्ट ।

- प्रतिलिपि:-**
1. मुख्य महाप्रबन्धक/टूंडला को सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
 2. अपर महाप्रबन्धक/सिविल/कानपुर को सूचनार्थ हेतु ।



डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक सं०- CNB/EN/RTI/16(A)/ Y-20/M-12/(08)

Date- 19-12-2020

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
डी०एफ०सी०सी०आई०एल०,
टुण्डला (आगरा)

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत, श्री कृपाशंकर टण्डन, एडवोकेट मांगी गई सूचना दिनांक 04.12.2020 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-1. उप महाप्रबन्धक/एण्मीन (पीआईओ), नई दिल्ली का पत्र सं० 2020/HQ/ADMIN/RTI-885 दिनांक 09.12.2020 (संलग्नक सहित)

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत, श्री कृपाशंकर टण्डन, एडवोकेट, जो जनसूचना अधिकारी, प्रबन्धक, डी०एफ०सी०सी०आई०एल० नई दिल्ली को सम्बोधित हैं, उप महाप्रबन्धक/एण्मीन (पीआईओ), नई दिल्ली के पत्र 2020/HQ/ADMIN/RTI-885 दिनांक 09, दिसम्बर, 2020 (सन्दर्भित पत्र-1), के द्वारा इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच०आर०/टुण्डला की ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

क्रम सं०	प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
1.	प्रार्थी द्वारा अन्तिम रूप से प्रेषित बिल क्रम सं० 1 से 83 तक दिनांक 30.06.2020 के भुगतान के सम्बन्ध में विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही अप्रसरित की गई है, के सम्बन्ध में सूचना देने की कृपा करें ?	श्री कृपा शंकर टण्डन, एडवोकेट, के द्वारा प्रस्तुत बिल सं० 1 से 83 तक बिलों के भुगतान की कार्यवाही करते हुए डी०एफ०सी०सी० कानपुर कार्यालय द्वारा 16 जुलाई 2020 को मुख्य महाप्रबन्धक/डी०एफ०सी०सी०आई०एल०/टुण्डला के कार्यालय में भेजा जा चुका है। जिसके उपरान्त डी०एफ०सी०सी० वित्त विभाग/टुण्डला के द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है, चूंकि श्री टण्डन द्वारा 2014-15 से 2018 तक के बिल एक साथ कार्यालय में प्रस्तुत किए गये हैं, जबकि उनको कई बार प्रति माह बिलों को उचित समय में जमा करने हेतु आग्रह किया था, तथा 05 वर्षों के बिल एक साथ जमा किये जाने के कारण जॉच में समय लग रहा है। श्री टण्डन जी को बिलों के जॉचोपरान्त वित्त विभाग द्वारा नियमानुसार स्वीकार्य धनराशि (Admissible amount) यथाशीघ्र प्रदान कर दी जायेगी।

<p>2. यदि प्रार्थी द्वारा प्रेषित बिल क्रम सं० 1 से 83 तक दिनांक 30.06.2020 के सम्बन्ध में प्रश्न सं० 10.1 के अनुक्रम में यदि कार्यवाही अप्रसारित की जा चुकी है, तो उक्त बिलों का भुगतान पूर्ण रूप से प्रार्थी को कब तक प्रदान किया जाएगा, सूचित करने की कृपा करें।</p>	<p>प्रस्तर-1 में जानकारी दी जा चुकी है।</p>
---	---

कृपया वस्तुस्थिति से अवागत होने का कष्ट करें।

अपर महाप्रबन्धक,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल / कानपुर।
19/12/2020

अपर महाप्रबन्धक,
डी.एफ.सी.सी.आई.एल / कानपुर।
Sgt

प्रतिलिपि:— उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एचआर, डी०एफ०सी०सी०आई०एल०, टुण्डला को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।